

रिपोर्ट योग्य

समक्ष सर्वोच्च न्यायालय, भारत
दीवानी अपीलीय अधिकारिता

दीवानी अपील संख्या 4642/2019

(एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 8725/2014 से उत्पन्न)

राजा सिंह एवं अन्य

...अपीलार्थीगण

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...उत्तरवादीगण

साथ

दीवानी अपील संख्या 4643/2019

(एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 8885/2014 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 4644/2019

(एस0 एल0 पी0 (सी) संख्या 9817/2014 से उत्पन्न)

निर्णय

आर. बानूमथि, न्यायाधीश।

अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपीले इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सी.एम.डब्ल्यू.पी. संख्या 13148/2002 एवं इससे सम्बन्धित मामलो मे पारित आदेश एवं निर्णय दिनांकित 07.03.2014 से उत्पन्न हुई है जिनके द्वारा हाई कोर्ट ने माना था कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति उत्तर प्रदेश

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2001 द्वारा शासित होनी है एवं अपीलार्थीगण को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अपने समावेश का दावा पेश करने का कोई कानूनी अधिकारी नहीं है एवं उसे उचित रूप से राज्य सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया है।

3. इन सभी अपीलों में, विचारणीय विन्दु एक ही जैसा है, एवं सभी अपीलों का निपटारा इस एक ही निर्णय द्वारा हो जाएगा। आसान संदर्भ के लिए एस.एल.पी.(सी) संख्या 8725/2014 से उत्पन्न अपील के तथ्यों को संदर्भित किया जाता है।

4. संक्षिप्त तथ्य जिनकी वजह से यह अपीलें दाखिल की गई हैं निम्नलिखित हैं:

यह कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने नोटिफिकेशन संख्या 4056/XX-E-95-539(2)/95 दिनांकित 12.08.1995 द्वारा चार विभागों की रचना की जिनके नाम हैं: ए – अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बी – पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सी – विकलांग कल्याण विभाग, डी – अम्बेडकर गाँव विकास विभाग। सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पत्र संत्रया 2160/52/1-96-1 (85)/95 दिनांकित 22.11.1996, जो उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों को सम्बोधित था, में बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने हैं और उचित अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे पदों को अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/सेवा के अन्तरण के माध्यम से भरा जाए जिन्हें कम से कम बारह वर्ष का अनुभव हो एवं वे रु० 2000-3500 से तुरन्त नीचे के वेतन-मान में कार्य कर रहे हों। सचिव ने विभिन्न विभागों के अध्ययकों से अनुरोध किया कि प्रतिनियुक्ति/सेवा

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

अन्तरण के आधार पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक प्रार्थियों के नाम अग्रसारित किए जाए।

5. अपीलार्थीगण ने उचित चैनल के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नए बनाए गए पद के लिए आवेदन किया एवं उन्हें साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया। साक्षात्कार में उपस्थित होने के पश्चात शासनादेश संख्या 30.12.1997 द्वारा अपीलार्थीगण का चयन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए कर लिया गया। उक्त नियुक्ति आदेशों में, यह कहा गया था कि उनकी प्रति नियुक्ति/सेवा अन्तरण दो वर्ष की अवधि अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिए थी। अपीलार्थीगण ने दो वर्ष की अवधि के पश्चात भी पद पर कार्य जारी रखा। शासन ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2001 बनाई। उक्त नियमावली ने प्रावधानित किया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 75% पद सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे और 25% पद मूल रूप से नियुक्त मुख्य वक्फ निरीक्षकों और वरिष्ठ वक्फ निरीक्षकों में से लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भर्ती वर्ष की प्रथम तिथि को भरे जायेंगे, जिन्होंने मुख्य वक्फ निरीक्षक अथवा वरिष्ठ वक्फ निरीक्षक अथवा दोनों के रूप में दस साल की सेवा पूर्ण कर ली है।

6. अपीलार्थीगण ने अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के संवर्ग में समावेश की इच्छा प्रकट करते हुए उत्तरवादी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 14.02.2002 और 16.02.2002 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये। जब उनका प्रत्यावेदन विचारार्थ लम्बित था, अपीलार्थीगण ने एक रिट याचिका (सी) संख्या 13148/2002 उत्प्रेषण रिट जारी करने की इच्छा व्यक्त करते हुए दाखिल कर दी कि उत्तर प्रदेश

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2001 को खंडित किया जाए क्योंकि इसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर विलय/समावेश का खण्ड शामिल नहीं है, एवं परमादेश जारी करने का भी अनुरोध किया कि उत्तरवादीगण को निर्देशित किया जाए कि अपीलार्थीगण की सेवाओं को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर नियमित किया जाए। अंतरिम आदेश द्वारा, हाई कोर्ट ने अपीलार्थीगण की सेवाओं को रिट याचिका के निपटान तक सुरक्षा प्रदान की। शासन ने अपने आदेश संख्या 2188A/52-1-2002-रिट/2002 दिनांकित 02.08.2002 द्वारा अपीलार्थीगण के प्रत्यावेदन को अस्वीकार कर दिया जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के संवर्ग में समावेश की इच्छा व्यक्त की गई थी। प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए शासन ने यह प्रेक्षित किया कि सेवा नियमावली 2001 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के संवर्ग में किसी अन्य स्रोत से, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति के अलावा, पदों को भर्ती करने का कोई प्रावधान नहीं है।

7. रिट याचिका (सी) संख्या 13148/2002, उस समय लम्बित, में अपीलार्थीगण ने उक्त आदेश दिनांकित 02.08.2002 को खंडित करने की प्रार्थना करते हुए एक संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उत्तरवादीगण ने अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया जिसमें रिट याचिका के साथ-साथ संशोधन का भी प्रतिरोध किया। उत्तरवादीगण ने प्रकथन किया कि अपीलार्थीगण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित नहीं है और उनको प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया गया था एवं उनका धारणाधिकार अभी भी मूल विभाग में विद्यमान है। यह प्रकथन किया गया कि अपीलार्थीगण को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में केवल हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण बनाए रखा गया था और यह कि अपीलार्थीगण को अल्पसंख्यक कल्याण एवं

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

वक्फ विभाग में कार्य जारी रखने और समावेश का दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।

8. हाई कोर्ट ने आलोच्य आदेश दिनांकित 07.03.2014 द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया यह कहते हुए कि रिट याचिका में शामिल मुद्दा रिट याचिका संख्या 44112/2011 में शामिल मुद्दे के समान है और यह कि रिट याचिका में कोई गुण नहीं है। हाई कोर्ट ने रिट याचिका संख्या 44112/2011 : **सईद अहमद खान एवं आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, कल्याण विभाग मंत्रालय एवं आदि** में पारित निर्णय पर विश्वास करते हुए यह माना कि अपीलार्थीगण, जो अल्पसंख्यक विभाग में प्रतिनियुक्ति/सेवा अंतरण पर थे, को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अपनी सेवाओं का समावेश का दावा पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

9. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना, निवेदनो पर सावधानीपूर्वक विचार किया, आलोच्य निर्णय एवं रिट याचिका (सी) संख्या 44112/2011 और रिट याचिका (सी) संख्या 44100/2013 में पारित निर्णयों जिन पर विश्वास किया गया और रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्री का भी अवलोकन किया।

10. विचारणीय विन्दु यह है कि अपीलार्थीगण जिनको उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी नियमावली 2001 लागू होने से पहले जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्त किया गया था, क्या यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थीगण केवल प्रतिनियुक्ति पर थे एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर समावेश का दावा पेश करने का उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

11. सामाजिक कल्याण विभाग के पृथक्करण के पश्चात, वर्ष 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नाम के एक नए विभाग का सृजन किया गया। शासनादेश दिनांकित 22.11.1996 उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों को जारी किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के पात्र अभ्यर्थियों से सेवा अन्तरण/प्रतिनियुक्ति पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद के लिए आवेदन आमन्त्रित किए गए। उक्त शासनादेश में, यह विशेष रूप से बताया गया था कि अभ्यर्थी उक्त पद के लिए आवेदन कर सकता है या रु0 2000—3500 के वेतनमान में अथवा इस वेतनमान से तुरन्त नीचे के वेतनमान में एवं वह रु0 2000—3500 के वेतन मान या इससे उपर के वेतनमान में प्रोन्नति का पात्र है।

12. अपीलार्थी राजा सिंह जिला नियोजन अधिकारी थे। अपीलार्थी मकरंद प्रसाद रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी थे। अपीलार्थी धरम देव त्रिपाठी जिला लेखा-परीक्षा अधिकारी कार्यालय (वित्त विभाग), देवरिया में वरिष्ठ लेखा-परीक्षक थे। अपीलार्थी हेमराज सिंह सामाजिक कल्याण विभाग में अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। समस्त अपीलार्थीगण ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया और चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार देने एवं चयन प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात उनका विधिवत चयन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर किया गया था। नियुक्ति पत्र दिनांक 03.10.1997 को जारी किये गए। कार्यालय आदेश दिनांकित 30.12.1997 के अनुसार अपीलार्थीगण को “अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नए सृजित अस्थायी पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवा अंतरण पर दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अग्रेतर आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था”। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव के अन्य विभागों को सम्प्रेषित पत्र दिनांकित 15.11.1997 में उनके विभागों के

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

कर्मचारियों अर्थात् मकरंद प्रसाद, राजा सिंह, धर्मदेव त्रिपाठी और हेम राज सिंह को सेवा अंतरण द्वारा “जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद” पर नियुक्ति के लिए चयनित किया गया था। यद्यपि उक्त पत्र में कहा गया है कि अपीलार्थीगण को प्रतिनियुक्ति/सेवा अन्तरण द्वारा नियुक्त किया गया था, इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए कि कमेटी के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होकर अपीलार्थीगण चयन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं एवं नियुक्ति के लिए उनका चयन किया जाना दर्शाता है कि यह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में “नियुक्ति के लिए चयन” था, और “प्रतिनियुक्ति” नहीं थी। जैसे कि पहले इंगित किया गया है, यद्यपि, अपीलार्थीगण को दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और दो वर्ष बाद उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेजने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। निस्सन्देह, इसी बीच, रिट याचिकाएँ अपीलार्थीगण ने दायर कर दी। यद्यपि अपीलार्थीगण को उनके मूल विभाग में वापस भेजने के प्रस्ताव के लिए अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की ओर से अन्य विभागों को कोई संप्रेषण नहीं किया गया।

13. मैनेजिंग डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम बनाम् पी.के. भटनागर एवं अन्य (2007) 14 एस.सी.सी. 498 में, यह माना गया कि केवल इस तथ्य पर कि कर्मचारी ने उस विभाग में सेवा में कई वर्ष बिताए हैं जहाँ उसे प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, यह उसकी स्थिति को प्रतिनियुक्त से नियमित कर्मचारी के रूप में परिवर्तित नहीं करता। निःसन्देह, यह सुस्थापित है कि ऐसे कर्मचारी को समावेश का दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है जिसको प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया हो। परन्तु इस मामले में जैसा हमने उपर चर्चा की है, नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर नहीं थी, लेकिन सेवा नियमावली 2001 लागू होने से काफी पहले सेवा-अंतरण द्वारा थी।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

14. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2001 दिनांक 02.07.2001 से लागू हुई। उक्त नियमावली का नियम 3(एच) 'सेवा के सदस्य' को निम्न रूप में परिभाषित करता है:

3(एच) 'सेवा के सदस्य' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस नियमावली के अन्तर्गत अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पहले लागू नियमावली या आदेशों के अन्तर्गत सेवा के संवर्ग में पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो।

नियम 3 (के) "मौलिक नियुक्ति" को निम्न रूप में परिभाषित करता है:

3 (के) "मौलिक नियुक्ति" से तात्पर्य सेवा के संवर्ग में पद पर नियुक्ति, जो तदर्थ नियुक्ति न हो, चयन के पश्चात् नियमावली के अनुसार की गई हो, यदि कोई नियमावली न हो तो शासन द्वारा तत्समय के लिए जारी कार्यपालक निर्देश के अनुसार हो।

यह ध्यातव्य है कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति के समय कोई सेवा नियमावली नहीं थी। अपीलार्थीगण उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी नियमावली 2001 लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे, उनकी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति पर हुई नहीं कहा जा सकता। यद्यपि यह कहा गया है कि उनकी नियुक्ति केवल अस्थायी थी, रिकार्ड पर ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शित करता हो कि पद निश्चित समय के लिए केवल अस्थायी पद थे। ऐसी किसी सामग्री के अभाव में जो यह दर्शित करती हो कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति केवल सृजित अस्थायी पदों के सापेक्ष 2 वर्ष की अवधि के लिए ही की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता कि वे केवल अस्थायी पदों के सापेक्ष केवल दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए गए थे।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

15. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2001 के नियम 5 में प्रावधान है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 75% पद सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे, और 25% पद मूल रूप से नियुक्त मुख्य वक्फ निरीक्षकों और वरिष्ठ वक्फ निरीक्षकों में से लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने मुख्य वक्फ निरीक्षक अथवा वरिष्ठ वक्फ निरीक्षक अथवा दोनों के रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, से भरे जाएंगे। यद्यपि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2001 अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में मौन है जिनकी नियुक्ति इस नियमावली के लागू होने से पहले हुई है, अपीलार्थीगण जिनको जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर सेवा नियमावली 2001 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था, को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में समावेश के उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

16. आलोच्य आदेश में, उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.ए. संख्या 44112/2001 पर विश्वास व्यक्त किया है जो एस.एल.पी.(सी) संख्या 8885/2014 में चुनौती की विषय वस्तु है जिसमें सी.एम.डब्ल्यू.पी. संख्या 44100/2013 : **चंद्रभान श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और आदि** पर विश्वास व्यक्त किया गया है। रिट याचिका संख्या 44100/2013 में, याचिकाकर्तागण का सेवा नियमावली 2001 लागू होने के काफी बाद चयन हुआ था एवं वे 27.09.2009 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के संवर्ग में शामिल हुए। उस परिप्रेक्ष्य में, उच्च न्यायालय ने माना कि जो लोग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में नियुक्त हुए थे वे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2001 द्वारा शासित है। उसमें याचिकाकर्तागण की नियुक्ति कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 27.07.2009 द्वारा थी, वे "सेवा के सदस्य" होने का दावा नहीं कर सकते चूंकि नियमावली

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

के नियम 3(एच) के तहत आवश्यकता पूर्ण नहीं करते। रिट याचिका संख्या 44100/2013 में उक्त मामला स्पष्ट रूप से तथ्यों पर भिन्न है। प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थीगण की नियुक्ति उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2001 लागू होने से काफी पहले वर्ष 1997 में की गई थी, वे नियमावली के नियम 3(एच) के तहत कवर होते हैं एवं उनकी स्थिति भिन्न है। हमारे विचार में, अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल रिट याचिका को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा **सईद अहमद खान और चन्द्रभान श्रीवास्तव** के मामलों पर विश्वास किया जाना सही नहीं था।

17. यह कहा गया है कि राजा सिंह और हेमराज सिंह दिनांक 30.06.2018 को सेवा निवृत्त हो गए। अपने सुनिश्चित कैरियर प्रगतन (ए.सी.पी.) एवं अन्य लाभ का दावा पेश करते हुए राजा सिंह द्वारा रिट याचिका संख्या 23563(एस/बी)/2018 दाखिल की गई जिसका निपटान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 31.08.2018 से किया गया जिसमें मूल विभाग अर्थात् प्रशिक्षण एवं नियोजन विभाग को सेवा निवृत्ति के उपरान्त देयको की अदायगी से सम्बन्धित पेंशन कागजों पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था। यह कहना गया है कि उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के अनुरूप, प्रशिक्षण एवं नियोजन के निदेशक ने अपने आदेश दिनांकित 30.10.2018 द्वारा अपीलार्थीगण राजा सिंह को देय सवोनिवृत्ति लाभ एवं अन्य देयक की अदायगी स्वीकृत की। यह बताया गया है कि राजा सिंह के मूल विभाग ने समस्त सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान कर दिया है और प्रशिक्षण एवं नियोजन विभाग में अनुमन्य दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। चूंकि राजा राम और तीन अन्य अपीलार्थीगण अर्थात् हेमराज सिंह, धर्मदेव त्रिपाठी और मकरंद प्रसाद को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के संवर्ग में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग का कर्मचारी

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

माना गया है, वे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन के पात्र हैं। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग पेंशन कागजों पर कार्यवाही करेगा एवं अपीलार्थीगण राजा सिंह और हेम राज सिंह को उनके विभागों द्वारा भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति लाभ को समायोजित करने के बाद समस्त सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करेगा। अपीलार्थीगण राजा सिंह और हेमराज सिंह के भुगतान की गई पेंशन को समायोजित करने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अनुमन्य पेंशन का भुगतान अपीलार्थीगण को किया जाएगा।

18. परिणामतः उच्च न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त किया जाता है एवं यह अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण का समावेश अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति की तिथि से किया जाएगा। जहाँ तक सेवानिवृत्ति कर्मचारीगण राजा सिंह और हेमराज सिंह का सम्बन्ध है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उपर पेटा (17) में दिए गए निर्देशों का शीघ्रता से पालन करेगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय को दृष्टांत के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा चूंकि इस निर्णय को मामले के विलक्षण तथ्य एवं परिस्थितियों में पारित किया गया है कि इन अधिकारियों की पद पर नियुक्ति सेवा नियमावली 2001 लागू होने से पहले की गई थी एवं इसी रूप में वे कार्यरत रहे।

.....न्यायाधीश

(आर. बानुमती)

.....न्यायाधीश

(आर. सुभाष रेड्डी)

नई दिल्ली;
मई 06, 2019

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।